

कार्यालय,

संचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2246-EMRALD-9 INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, 11 KM, LUCKNOW CHINHAT-DEWA ROAD, BARABANKI

क्रमसंख्या	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
4	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
5	CIVIL ENGINEERING	180	180
	MECHANICAL		
6	ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
	P.G.DIPLOMA IN		
7	COMPUTER APPLICATION	60	60
8	HOME SCIENCE	60	60
9	INDUSTRIAL SAFETY	60	60

सम्बद्धता हेतु चर्ट

- ✓ संसद १०-अई०सी०टी०ई०/पी०सी०-आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी जर्ती का पूर्णकृत पालन करेगी।
- ✓ संसद उत्तर प्रदेश प्राविधिक विभाग परिषद् एवं १९६२ लघा प्राविधिक विभाग परिषद् विनियमबद्धी २०१६ तथा अन्य नियमों एवं अधिसंघों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय दृजीड़ पाठ्यक्रमों के लिए रु० ३०१५०.००/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यवाही पाठ्यक्रम के अधिकारी द्वारा रु० ४५०००.००/- द्वारा एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यवाही पाठ्यक्रम के अधिकारी) द्वारा रु० २२५००.००/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्रछात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अधिकारित छात्रछात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में सम्पन्न समाप्त पर ज्ञातन द्वारा निर्णय लिये जाने जाते जातानादेश प्रभावी होंगे, और तदुनुसार कार्यवाही किया जाने अवश्यक होंगा। पीसा निर्धारण समिति द्वारा यदि सब २०२१-२२ द्वारा पीसा का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीसा की नवीनतम दरें सामूहिक होंगी।
- ✓ संसद को (उपर प्राविधिक विभाग समितिया तथा उप समितिया संसाधनों को सम्बद्ध किया जाना) विनियमबद्धी २००० की जर्ती का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संसद में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शीटों के रिक्त रहे जाने की विधि में उत्तर प्रदेश जातन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संसद को १०-अई०सी०टी०ई०/पी०सी०-आई० से अनामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना अवश्यक होगा।
- ✓ संसद उत्तर प्रदेश जातन द्वारा बनाये गये विधिनियमों-अधिनियमों-जातानादेशी-नियंत्रणों एवं नियंत्रक, प्राविधिक विभाग, उपर प्रवेश परीक्षा परिषद्, उपर प्रवेश परीक्षक विभाग परिषद्, उपर द्वारा बनाये गये नियमों, विधेयमों, अधिसूची, नियंत्रणों का जातन करने के लिये जाप्त होंगी।
- ✓ विधेयमा इन कार्यवाही पाठ्यक्रम वी संसद यदि गी.वी.बी.आई., नई विद्या से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस सम्बन्ध में जातन उत्तरदायित्व संसद का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संसद जाप्त उत्तरदायी होगी। प्राविधिक विभाग परिषद्, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, प्राविधिक विभाग नियंत्रणलय एवं प्राविधिक विभाग उत्तर प्रदेश जातन का कार्य जाप्त द्वारा किया जाता है तथा दायर गांद के हावड़ा में या, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपुस्ति जातेवा नियंत्रित किया जाता है तो संयुक्त प्रतिपुस्ति संबोधित संसद को करनी होगी।
- ✓ विधेयमा इन कार्यवाही पाठ्यक्रम संवालित करने वाली संसदों ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश लक्ष्मऊ द्वारा प्राप्त वर्ष के लिए अधिनियत प्रवेश परीक्षा हेतु कानूनिकानि घोषणा होने के पूर्व पी०सी०-आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद् कानूनियत को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कानूनिकानि के माध्यम से अपका संसद जाप्त पर सीधे छोड़ें) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु नियंत्रित नारीनलम-आरक्षण नियमों का अनुपालन करना अवश्यक होगा।
- ✓ संसद को अपने डेक्काइट पर संसद की संसद सुचनाएं जैसे संसद की एंटीहासिक पृष्ठ भूमि, बठाक, साज़-संसद, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रछात्रा शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संसद को शिक्षण-प्रगतिशील हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ ऐसी रीकाने के सम्बन्ध में संसद अवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संसद यह सुनिश्चित हो ले कि संसद में प्रस्तावित संबलित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु नियंत्रण समिति के समान उपलब्ध कराए गये अभिलेख, भूमि-भवन, कार्यालय, उपकरण इत्यादि का यदि संसद द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद् को इसकी जानकारी होती है तो संसद उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तोकाल संसद की सम्बद्धता समाप्त की जाएगी।
- ✓ संसद के सल्लीय नियंत्रण दीर्घन यदि संसद में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज़-संसद पी०सी०-आई०सी०टी०ई०/पी०सी०-आई० परिषद् वो मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाए जाता है तो संसद की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता जर्ती का अन्यालन न किये जाने अथवा जर्ती का उत्तराधिन किये जाने की विधि में विधानानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोंकडा)

संविध

पुराणा प्राचीन वार्तालाल संख्या २०२१/३३३८-४०००

प्रधान, अध्यक्ष

अध्यक्षः

सुनील कुमार सोंकडा
इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ११ कि.
लालजगत सिन्हात-देवा रोड, बागदाँगा


(सुनील कुमार सोंकडा)

संविध